(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2263-एक/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 16-11-2011- पारित व्दारा - आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण 75/2007-08 निगरानी

नरेन्द्र सिंह पुत्र वृन्दावन सिंह
ग्राम परसोना तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1- दरोगा सिंह पुत्र मेहरवान सिंह
2- बॅशलाल पुत्र अमृत सिंह
दोंनों निवासी ग्राम परसोना
तहसील व जिला भिण्ड, म0प्र0 ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री राम सेवक शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)

आ दे श

(आज दिनांक 7-1 - 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 75/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-11-2011 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-2 ने तहसीलदार भिण्ड को आवेदन दिया कि ग्राम परसोना की भूमि सर्वे क्रमांक 901 रकबा 1 वीघा पर उसका पुरखों के जमाने से अतिक्रमण चला आ रहा है एंव इसमें वृक्ष भी खड़े हैं किन्तु नरेन्द्रसिंह ने पटवारी से मिलकर कब्जे का गलत इन्द्राज कराया है इसलिये इन्द्राज निरस्त कर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जाय। तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 1981 बी 121/1998-99 दर्ज करके आदेश दिनांक 12-9-2001 से बंदोवस्त के उपरांत सर्वे नंबर 901 से बने सर्वे नंबर 1039 रकबा 0.21 हैक्टर पर आवेदक का अतिक्रमण होने के कारण 1000/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित करके 07 दिवस में बेदखल करने के निर्देश दिये। इस आदेश के विरूद्ध एस0डी0ओ0भिण्ड के समक्ष अपील हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 31.12.02 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण संहिता की धारा 248 के तहत कार्यवाही हेतु वापिस किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर अयुक्त चम्बल संभाग मुरेना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 89/04-05 आदेश दिनांक 6-3-07 से अदम पैरबी में निरस्त हुई। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड का आदेश दिनांक 31.12.02 प्रभावशील रहने से तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण पहुंचने पर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12.10.2004 पारित किया तथा आवेदक के नाम उक्तांकित भूमि व्यवस्थापित कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध एस0डी0ओ0भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 6/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-3-08 से तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 12.10.04 निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 75/2007-2008

निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-11-2011 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष क अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि खसरा संबत 2032 लगायत 2035 के कालम नंबर 2 में ग्राम परसोना की भूमि सर्वे कमांक 901 रकबा 1 वीघा की नोइयत बगिया दर्ज है और इसी बगिया नोईयत की भूमि को तहसीलदार ने आदेश दिनांक 12.10.2004 से व्यवस्थापित किया है, जबकि काविलकास्त भूमि ही कृषि कार्य हेतु व्यवस्थापित की जा सकती है, क्योंकि बगिया अर्थात बगीचा की भूमि बाग-बगीचे के लिये यानि वृक्ष उगाने के लिये सुरक्षित रहती है। इस प्रकार तहसीलदार का आदेश दिनांक 12.10.04 त्रृटिपूर्ण होने से अनुविभागीय अधिकारी ने सही निर्णय लेकर निरस्त किया है जिसके कारण आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 75/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-11-2011से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ जहॉ तक व्यवस्थापन दिनांक 12.10.2004 को तहसीलदार भिण्ड को भूमि बन्टन/व्यवस्थापन की शक्तियॉ न होने का प्रश्न है ? विद्वान आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि तहसीलदार भिण्ड का आदेश दिनांक 12.10.2004 किन कारणों से सही है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा आदेश दिनांक 1-3-2008 में

निकाले गये निष्कर्ष एंव आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 16-11-2011 में निकाले गये निष्कर्ष एकरूपता लिये हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 75/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16-11-2011 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर